भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **464**/अनुदेश/**2016**-ईपीएस तारीख : **15** फरवरी, **2016**

सेवा में,
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है, आयोग ने अपने तारीख **20** अक्टूबर, 2005 के पत्र सं. **509/110/2004**-जेएस.। के तहत अनुरोध किया था कि सरकार/स्थानीय प्राधिकारी ऐसे सार्वजनिक भवनों, जहां निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र अवस्थित होते हैं, में स्थायी रैम्प प्रदान करें। आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा निदेशित, इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए अनुरोध करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को एक पृथक पत्र लिखा था। इसके अतिरिक्त, आयोग ने अपने तारीख **26** अक्टूबर, **2007** के पत्र सं. **509/110/2004**-जेएस.। के तहत निदेश दिया है कि ऐसे मतदान केंद्रों, जहां स्थायी रैम्प प्रदान नहीं किए गए हैं, में अस्थायी रैम्प प्रदान किया जाए। उपर्युक्त के मद्देनजर, आपसे यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध है कि

(i**)** ऐसे सार्वजनिक भवनों, जहां निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र अवस्थित किए जाते हैं, में स्थायी रैम्प उपलब्ध हों;

(ii**)** ऐसे मतदान केंद्रों, जहां स्थायी रैम्प प्रदान नहीं किए गए हैं, में अस्थायी रैम्प प्रदान किए जा रहे हैं;

(iii**)** अस्थायी रैम्प समुचित ढलान एवं चौड़ाई के हैं और व्हील चेयर को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(सुमित मुखर्जी**)**
सचिव

अनुबंध – घ

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित तथा राज्य सरकार के साथ समन्वय करने की आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पृष्ठांकित, आयोग का तारीख **20.10.2005** का पत्र सं. **509/110/2004**-जेएस.।

विषय : विकलांग मतदाताओं को सुविधाएं प्रदान करना।

मुझे आयोग के तारीख **21.04.2004** के समसंख्यक पत्र के तहत आपको संसूचित, रिट याचिका **(**सिविल**)** सं. **2004** का **187 (**डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य**)** माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख **19.04.2004** के अंतरिम आवेदन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। उक्त आदेश में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने तत्कालीन लोकसभा साधारण निर्वाचन, 2004 में शहरी क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों में रैम्प प्रदान करने के लिए निदेश दिया था। उक्त अंतरिम आदेश के अनुसरण में, उक्त निर्वाचन में तीसरे एवं चौथे चरण में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुए, वहां शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में राज्य सरकारों द्वारा अस्थायी रैम्प प्रदान किए गए। बाद के सभी निर्वाचन में भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे रैम्प प्रदान किए जाने संबंधी निदेश का अनुपालन करें।

आयोग ने इस मुद्दे पर आगे और विचार किया है। नि:शक्त व्यक्ति **(**समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी**)** अधिनियम, **1995** के उपबंधों के अधीन केंद्र सरकार/राज्य सरकार और संबंधित स्थानीय प्राधिकारी, सार्वजनिक भवनों में रैम्प प्रदान करने, ताकि विकलांग व्यक्ति वहां पहुंच सके, के लिए जिम्मेदार हैं।

अधिकतर मामलों में लोकसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र सार्वजनिक भवनों में अवस्थित होते हैं। आयोग की राय है कि मतदान केंद्रों में रैम्प प्रदान करने के मुद्दों का निराकरण किया जा सकता है, यदि संबंधित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी ऐसे सार्वजनिक भवनों, जहां मतदान केंद्र अवस्थित होते हैं, में स्थायी रैम्प प्रदान करें। चूंकि सार्वजनिक भवनों का उपयोग किसी न किसी प्रयोजन के लिए प्रत्येक दिन जन साधारण द्वारा किया जाता है, इसलिए ऐसे भवनों में स्थायी रैम्प से वर्ष **1995** के अधिनियम का प्रयोजन पूरा होगा और साथ ही मतदान केंद्र स्थायी आधार पर विकलांग व्यक्ति हितैषी हो जाएगा। ऐसे स्थायी रैम्प प्रत्येक निर्वाचन में अस्थायी रैम्प स्थापित करने की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, आयोग की इच्छा है कि ऐसे सभी भवनों, जहां लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र अवस्थित किए जाते हैं, में उत्तम गुणवत्ता वाले रैम्प बनाए जाएं। राज्य में मतदान केंद्रों के अवस्थानों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध है जो इसे आपको प्रदान करेंगे। आयोग की इच्छा है कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

अनुबंध – ड.

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित तारीख **26.10.2007** का पत्र सं. **509/110/2004**-जेएस.।

विषय : विकलांग निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं - रिट याचिका (सिविल) सं. 2004 का 187 – डिजेबल्ड राइट्स ग्रुप बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश।

मुझे सार्वजनिक भवनों, जिसमें मतदान केंद्र अवस्थित किए जाते हैं, में रैम्प स्थापित किए जाने के बारे में आयोग की तारीख **21.04.2004** और **21.10.2005** के समसंख्यक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। आपका ध्यान उपर्युक्त रिट याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख **19.04.2004** के अंतरिम आदेश में विहित निदेशों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख **05.10.2007** के अपने आदेशों के तहत कतिपय निदेशों के साथ उपर्युक्त रिट याचिकाओं का निपटान किया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने विकलांग निर्वाचकों को प्रदान की जाने वाली सुवधिाओं के बारे में समय-समय पर आयोग द्वारा जारी अनुदेशों पर गौर किया है और निदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन अनुदेशों का प्रभावी रूप से पालन किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि विकलांग निर्वाचकों के मताधिकार के प्रयोग हेतु उनके लिए सुवधिाओं की उपलब्धता के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अग्रिम एवं पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, आयोग के तारीख **20** अक्टूबर,2005 के समसंख्यक पत्र और तारीख **7** अप्रैल, **2004** के पत्र सं. **576/3/2014**-जेएस.।। **(**सुलभ संदर्भ के लिए प्रतियाँ संलग्न**)** की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तारीख **20** अक्टूबर, **2005** के पत्र में, आयोग ने अनुरोध किया था कि सरकार/स्थानीय प्राधिकार ऐसे सार्वजनिक भवनों, जिनमें निर्वाचनों के लिए मतदान केंद्र अवस्थित होते हैं, में स्थायी रैम्प प्रदान करें। आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा निदेशित, इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई के लिए अनुरोध करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पृथक पत्र लिखा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि नि:शक्त व्यक्ति **(**समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी**)** अधिनियम, **1995** के उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में प्रभावी कार्रवाई की गई है, राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ स्थिति की पुनरीक्षा करनी चाहिए। आयोग को ऐसी पुनरीक्षा के बाद स्थिति के बारे में नवंबर, **2007** के अंत तक सूचित किया जाना चाहिए।

3. विकलांग निर्वाचकों के लाभ के लिए मतदान केंद्र में प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में आयोग के उपर्युक्त तारीख **7** अप्रैल, **2004** के पत्र सं. **576/3/2004**-जेएस.।। की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस संबंध में अनुदेशों को सभी भावी निर्वाचनों में सख्त अनुपालन के लिए राज्य के सभी निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए। निम्नलिखित पहलुओं के बारे में विशिष्ट अनुदेश जारी किए जाने चाहिए :

- मतदान केंद्रों में उपस्थित मतदान कर्मियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शारीरिक रूप से विकलांग निर्वाचकों को कतार में प्रतीक्षा किए बगैर दूसरे निर्वाचकों से पहले मतदान केंद्र में प्रवेश करने हेतु प्राथमिकता दी जाए और सभी यथा अपेक्षित सहायता उन्हें मतदान केंद्र में प्रदान की जाए।
- ऐसे निर्वाचकों को मतदान केंद्र के भीतर अपने व्हील चेयर को ले जाने के लिए पूरी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे मतदान केंद्रों में, जहां स्थायी रैम्प प्रदान नहीं किए गए हैं, उपर्युक्त याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख **19** अप्रैल, **2004** के आदेश **(**प्रति संलग्न**)** के अनुसार अस्थायी रैम्प प्रदान किए जाने चाहिए।
- मतदान कर्मियों को निर्वाचनों का संचालन नियम, **1961** के नियम **49**ड के उपबंधों, जिसमें अंधे/अशक्त निर्वाचक को मत डालने में सहायता करने के लिए उसके साथ किसी साथी को जाने की अनुमति का उपबंध किया गया है, के बारे में विशेष रूप से बताया जाना चाहिए।
- मतदान कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं में उन्हें विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों, उनके प्रति शिष्टतापूर्वक व्यवहार और मतदान केंद्र में उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के बारे में सुग्राही बनाया जाना चाहिए।
- वाक् और श्रवण शक्ति में क्षीणता वाले निर्वाचकों का भी अन्य विकलांग व्यक्तियों की ही तरह विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
- प्रत्येक निर्वाचन के समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित, विकलांग व्यक्ति द्वारा उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उपर्युक्त सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में व्यापक प्रचार किए जाने

के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश जारी करेगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, ई वी एम पर ब्रेल संकेतक की सुविधा के उपलब्ध होने के बारे में भी प्रचार किया जाना चाहिए। प्रचार प्रिंट मीडिया और रेडियो/दूरदर्शन के माध्यम से किया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को भी निर्वाचनों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर द्वारा उनके साथ आयोजित बैठकों में ऐसी सुविधाओं के बारे में बताया जाना चाहिए।

- कृपया इस पत्र और साथ ही इसके संलग्नकों की पावती शीघ्र भेजी जाए और यथा अपेक्षित उपर्युक्त कार्रवाई की पुष्टि भी यथाशीघ्र की जाए।

भारत के उच्चतम न्यायालय में
सिविल मूल अधिकारिता
रिट याचिका (सिविल) सं. 2004 का 187

डिजेबल्ड राइट्स ग्रुप - वादी
बनाम
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य - प्रतिवादी
टीपी (सी) सं. 2005 का 718-719
आदेश

रिट याचिका (सिविल) सं. 187/2004 के साथ डिजेबल्ड राइट्स ग्रुप, एक गैर सरकारी संगठन द्वारा इस न्यायालय को लिखे गए पत्र को जनहित में रिट याचिका के रूप में दर्ज किया गया। इस पत्र में अभिव्यक्त शिकायत निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विकलांग व्यक्तियों हेतु सुवधिाओं के अभाव से संबंधित थी। वादी ने (क) विकलांग व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए मतदान केंद्रों में काठ के रैम्प; (ख) दृष्टि बाधित मतदाताओं को नम्बर महसूस करने एवं अपने मत डालने के लिए उपयुक्त बटन को दबाने में समर्थ बनाने के लिए ब्रेल में लिखी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नम्बर; (ग) मतदान केंद्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए पृथक कतार एवं विशेष इंतजाम; तथा (घ) विकलांग व्यक्तियों को कम से कम असुविधा से अपने मताधिकार का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए मतदान केंद्र में कार्मिकों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने और उनके प्रति शिष्ट होने की जरूरत का उल्लेख किया।

इन सुझावों को न्यायमित्र द्वारा दोहराया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने इन सुझावों का प्रत्युत्तर दिया है। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49-ढ तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा (अंधे/अशक्त निर्वाचकों के मतों को दर्ज करने के संबंध में) जारी 'रिटर्निंग आफिसर के लिए पुस्तिका' के पैरा 39) की ओर ध्यान आकृष्ट करने के अतिरिक्त, आयोग ने कहा कि उन्होंने, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश जारी किया है कि वे मतदान केंद्रों में जाने के लिए अपने व्हील चेयर्स का प्रयोग करने में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए रैम्प प्रदान करें, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पृथक कतार लगवाएं और मतदान कार्मिकों को विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के बारे में अवगत कराएं और उन्हें विकलांग व्यक्तियों के प्रति शिष्टतापूर्वक व्यवहार करने के लिए कहें। ब्रेल में क्रम संख्या के मुद्रण के बारे में सुझावों के संबंध में निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दृष्टि बाधित व्यक्तियों के कल्याण कार्य में राष्ट्रीय स्तर पर लगे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा ई सी आई एल और बी ई एल (ई वी एम का विनिर्माण करने वाली दो फर्मों) के तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से उपयुक्त एवं संतोषजनक निराकरण करेगा। यह उल्लेख किया जाता है कि विद्यमान ई वी एम को भी दृष्टि बाधित एवं बधिर निर्वाचकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

तारीख 19.04.2004 को न्यायालय ने निदेश दिया कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों, उन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समन्वय से शहरों एवं शहरी क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों में काठ के रैम्प की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तारीख 20.10.2005 के पत्र के द्वारा निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश दिया कि वे सभी सार्वजनिक भवनों, जहां मतदान केंद्र अवस्थित किए जाते हैं, में उत्तम गुणवत्ता वाले स्थायी रैम्प की व्यवस्था करें। तारीख 27.04.2007 के शपथ-पत्र द्वारा, निर्वाचन आयोग ने पुष्टि की है कि तारीख 19.04.2004 के बाद आयोजित निर्वाचन में, मतदान केंद्रों में रैम्प प्रदान करने के लिए विशिष्ट अनुदेश जारी किए गए है।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बैलट बटन के किनारे ब्रेल नम्बर वाली नई ई वी एम का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने वादी द्वारा व्यक्त शिकायतों पर व्यापक रूप से कार्रवाई कर दी है।

वादी के विद्वान वकील ने कहा कि यद्यपि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुदेश जारी किए गए है, तथापि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनका अक्षरश: पालन नहीं किया जा रहा है और कई मतदान केंद्रों में सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। यह सच है कि निर्वाचन आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुदेशों का प्रभावी रूप से पालन हो।

निर्वाचन आयोग के लिए उपाय यह है कि वह सभी मतदान केंद्रों में शारीरिक रूप से विकलांग निर्वाचकों के लिए विशेष सुविधाओं के बारे में मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए कार्मिकों को उपयुक्त निदेश दे। यह समय रहते किया जाना चाहिए और ऐसी सुविधाओं की उपलबधता के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए ताकि विकलांग व्यक्ति को पहले ही सुवधिाओं की जानकारी हो जाए और इस प्रकार वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाने हेतु प्रोत्साहित हों। इसके अतिरिक्त इसके प्रेक्षकों को भी जानकारी होनी चाहिए ऐसी सुविधाएं दे दी गई हैं। ऐसी सुवधिाओं के अभाव के बारे में

उपचारात्मक/भावी कार्रवाई के लिए संबंधित सरकार को अधिसूचित किया जाना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह उल्लेख किया जाता है कि इस निमित्त उपयुक्त निदेश दिए जाएंगे। हमारा विचार है कि उपर्युक्त निदेशों/प्रेक्षणों से विकलांग मतदाताओं की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। तदनुसार, हम रिट याचिका का निपटान करते हैं।

इस रिट याचिका के निपटान के मद्देनजर, इसी विषय पर बम्बई उच्च न्यायालय (रिट याचिका (पी आई एल) सं. 3063/2004) और झारखंड उच्च न्यायालय (रिट याचिका (पी आई एल) सं. 753/2005) के समक्ष लंबित दो याचिकाओं को अंतरित करने की कोई जरूरत नहीं है। संबंधित उच्च न्यायालय उक्त याचिकाओं पर कार्रवाई करें और उनका उपयुक्त रूप से निपटान करें। तदनुसार, अंतरण याचिकाओं का निपटान किया जाता है।